

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक २५१४ / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: मार्च: ०७-३-२०१७

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2734/अलीगढ़/14131/2015/यूपी०-156 दिनांक 21.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है।

S.No.	Observation	REPLY
1	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(9) में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल शून्य अंकित किया गया है, जो सम्भव नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(9) में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(10) में लीज की अवधि 99 वर्ष अंकित की गयी है, इस अवधि को 30 वर्ष अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(10) में लीज की अवधि को 30 वर्ष अंकित कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई-3 की सूचना त्रुटिपूर्ण है, सुसंगत सूचना अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई-3 पर त्रुटिरहित सूचना अंकित कर दी गयी है।
4	मानक शर्तों के प्रमाण-पत्र में 18 के स्थान पर 16 बिन्दु ही अंकित हैं, सुसंगत प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	मानक शर्तों के प्रमाण-पत्र में 18 बिन्दु अंकित हैं कर दिये गये हैं। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण है, ईको क्लास एवं दर दोनों गलत हैं। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में ईको-क्लास संशोधित करें, एन०पी०वी० की संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ईको-क्लास के आधार पर एन०पी०वी० की गणना की गयी है। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	क्षतिपूरक वनीकरण की योजना वन ब्लाक में ट्रीगार्ड में प्रस्तावित है, जो स्वीकार्य नहीं है। संशोधित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण की योजना में संशोधन कर संशोधित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है। अंकित करायें।	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा।

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।